के अनुसार VIII कक्षा से उतीर्ण हो वाले सभी छात्र सरकारी स्कूलों में कक्षा IX में दाखिला प्राप्त करने के पात्र होते हैं । कक्षा XI में दाखिला दिल्ली प्रशासन द्वारा निर्धारित मानदंड (अ-बंध– पर संलग्न प्रति के अनुसार) नियमित किया जाता है । [देखिए परिशिष्ट CXVI, अनुपत्र संख्या 120]

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

tLTHE MINISTER OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHRI S. B. CHAVAN): (a) According to information furnished by the Delhi Administration, all the students passing Class VIII are eligible to get admission to Class IX in Government Schools. Admission to Class XI is regulated in accordance with the criteria laid down by the Delhi Administration (copy attached as Annexure) *[See* Appendix CXVI, Annexure No. 120]

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.]

खादी ग्रामोद्योग आयोग के कार्य

1900. **श्री कलराज मिश्र :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग, उसको सरकार द्वारा आवंटित किये गये अनदान के विषय में ठीक हिसाब नहीं रखता ;

(ख) आयोग का कितना धन विभिन्न निकायों की ओर बकाया है; और

(ग) इसे वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

Affairs of Khadi and Village Industries Commission

1900. SHRI KALRAJ MISHRA: Will the Minister of RURAL RECONSTRUCTION be pleased to state:

(a) whether Government are aware that no proper accounts are maintained by Khadi and Gramodyog Commission in respect of the grant allocated to it by Government;

(b) what is the amount outstanding against various bodies payable to the Commission till date; and

(c) what steps Government haw* taken to recover the same?]

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी नहीं, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग सरकार द्वारा इसे आवंटित अनुदानों और ऋणों का उचित हिसाब रखता है तथा इसके द्वारा क्रम से विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात् राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाओं और सहकारी सोसाइटियों को दिए गए अनुदानों और ऋणों के लेखाओं का उचित हिसाब भी रखा जाता है । खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के लेखे प्रतिवर्ष आन्तरिक लेखा परीक्षा तथा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा भी विस्तृत संवीक्षा के अधीन होते हैं; तथा कानूनी अपेक्षाओं के अनुसार आयोग के वार्षिक लेखे नियमित रूप से तैयार किए जाते हैं तथा संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखे जाते हैं ।

(ख) विभिन्न राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों, संस्थाओं और सहकारी सोसाइटियों की ओर 31 मार्च, 1980 को 222.86 करोड़ रुपये के ऋणों की धनराशि बकाया थी ।

f[ ] English translation

(ग) राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों को और बकाया ऋण खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग तथा अपने-अपने राज्य बोर्डों के बीच हुए ऋण करार द्वारा सुलभ की गई गारन्टी के अन्तर्गत आते हैं । जहां तक प्रत्यक्ष सूची में पंजीकृत संस्थाओं का संबंध है, संस्थाओं और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के बीच संविदात्मक करार मौजूद हैं तथा निधियां सुरक्षित हैं । खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 19ख और अधिनियम के अधीन बनाए गए खादी तथा ग्रामोद्याग के नियमों, विनियमों तथा ऋण नियमों के अन्तर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग भुगतान न की गई धनराशि को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल कर सकता है । खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के आन्तरिक लेखा-परीक्षा दल उपयोगिता लेखा-परीक्षा भी करते हैं और इस प्रयोजन हेतु उपयोग में न लाई गई धनराशियां आयोग को वापस की जानी अपेक्षित हैं खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम की धारा 19(ख) के अधीन ऋणों की वसूली ध्यान देने के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग में एक अलग विभाग है ।

ttTHE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI BALESHWAR RAM): (a) No, Sir. Khadi and Village Industries Commission does maintain proper accounts in respect of grants and loans allocated to it by the Government and in turn given by it to its various implementing agencies viz. State Khadi and Village Industries Boards, Institutions registered under Societies Registration Act, 1860 and Cooperatives. The Accounts of the Khadi and Village Industries Commission are subjected to detailed scrutiny by the Internal Audit every year and also by the Com-troller and Auditor General, and as per the statutory requirements, annual accounts o£ the Commission are regularly prepared and laid on the Table of both the Houses of Parliament.

(b) The amount of loans outstanding against various State Khadi and Village Industries Boards, Institutions-arid Cooperatives as on 31st March, 1980 was Rs. 222.86 crores.

(c) The loans outstanding against the State Khadi Village Industries Boards are covered under guarantee provided under the loan agreement entered into between the Khadi ind Village Industries Commission and ihe respective State Boards. In so far as Registered Institutions on the direct list are concerned there exists a contractual agreement between the Institutions and the KVIC and the funds-are secured. Under Section 19B of the Khadi and Village industries Commission Act, 1956, KVI Rules, Regulations and Loan Rules under the Act the Khadi and Village Industries Commission can recover the default amounts as arrears of land revenue. The Internal Audit Parties of the KVIC undertake utilisation-audit also and amounts not utilised for the purpose and unutilised amounts are required to be re-funded to the Commission. The Khadi and Village Industries Commission has a seperate department for attending to the recovery of loans under Section 19B of the KVIC Act.]

tt] English translation.

Drug Addiction among Workers of certain States

1901. SHRI DHARAM CHAND JAIN: Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have sanctioned some research projects to examine the problem of drug addiction among workers of certain States; and

(b) if so, what are the details ir this regard?

THE MINISTER OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHRI S. B. CHAVAN): (a) and (b) A statement is attached.